

(प्रतिलिपि आदेश दिनांक 25-05-18)

न्यायालय : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद (म0प्र0)

जमानत आवेदन क्रमांक : 180 / 2018

श्रीमती रेशमा पत्नी रामप्रकाशसिंह पवैया  
आयु 62 वर्ष निवासी ग्राम छैकुरी थाना  
मौ जिला-भिण्ड (म0प्र0)-आवेदिका

बनाम

म0प्र0 शासन जरिये पुलिस थाना मौ  
जिला भिण्ड (म0प्र0) — अनावेदक

25.05.18

आवेदिका/अभियुक्त श्रीमती रेशमा द्वारा अधिवक्ता श्री राघवेन्द्र सिंह तोंगर उपस्थित।

राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री बी0एस0 बघेल उपस्थित।

पुलिस थाना मौ, जिला-भिण्ड, के अपराध क्रमांक 04/18 अंतर्गत धारा 304बी, 34 भा0द0सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की केस डायरी प्रतिवेदन सहित प्राप्त। अवलोकन किया गया।

प्रतिभूति आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

आवेदिका/अभियुक्त की ओर से व्यक्त किया गया है कि यह उसका प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र है। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में न तो कोई जमानत आवेदन लंबित है, न ही निराकृत किया गया है। समर्थन में रामप्रकाश सिंह का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदिका की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदिका के विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जबकि उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। आवेदिका ने किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया है, पुलिस उसे गिरफ्तार करने हेतु प्रयत्नशील है। आवेदिका वृद्ध महिला होकर सभ्रान्त परिवार की सदस्य है। आवेदिका अपने पति के साथ मृतिका के परिवार से पृथक निवास करती है। आवेदिका द्वारा मृतिका से कभी कोई दहेज की मांग नहीं की गयी। वह सक्षम प्रतिभूति प्रस्तुत करने को तैयार है। आवेदिका स्थानीय निवासी है, प्रतिभूति पर रिहा होने के पश्चात् वह न तो फरार होगी और न ही साक्षियों को प्रभावित करेगी। अतः अग्रिम प्रतिभूति पर

उन्मुक्त किया जावे।

अभियोजन की ओर से आवेदन का विरोध करते हुये निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

केस डायरी एवं कैफियत के अवलोकन से दर्शित है कि मृतिका जूली द्वारा फांसी लगाकर मृत्यु कारित कर लेने से थाना मौ में मर्ग क्रमांक 31/17 धारा 174 दं0प्र0सं0 पंजीबद्ध करते हुए जांच के आधार पर ससुरालीजन पति गिर्राज, ससुर रामप्रकाश, सास रेशमा, ननदेउ सतेन्द्र सिंह, ननद रामादेवी द्वारा शादी दिनांक 20.06.14 के बाद से लगातार दहेज में दो लाख रुपये व मोटर सायकिल की मांग कर प्रताड़ित करने एवं उक्त प्रताड़ना के चलते जूली की मृत्यु शादी के सात वर्ष के अंदर सामान्य से भिन्न परिस्थितियों में होना पाये जाने से आवेदिका सहित अन्य सह अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना मौ में अपराध क्रमांक 04/18 अंतर्गत धारा 304बी, 34 भा0दं0सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में होना दर्शित किया है।

अपराध में अभी अनुसंधान लंबित है। वर्तमान परिवेश में इस तरह की घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही हैं। आवेदिका/अभियुक्त के विरुद्ध दहेज हत्या के गम्भीर अपराध के संबंध में नामजद रिपोर्ट दर्ज है। अब तक संकलित हुई साक्ष्य से आवेदिका के विरुद्ध प्रथम दृष्टि में गंभीर अपराध आक्षेपित किया गया है।

विधि की यह सुस्थापित स्थिति है कि अग्रिम जमानत का लाभ अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में दिया जाता है। अतः अपराध की प्रकृति तथा परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये उसे अग्रिम प्रतिभूति का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। विचारोपरांत आवेदिका **श्रीमती रेशमा** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम प्रतिभूति आवेदन अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति संलग्न कर केस डायरी वापस की जावे।

प्रकरण समाप्त। परिणाम दर्ज कर विहित समयावधि में अभिलेखागार में निक्षेपित किया जावे।

(एच.के. कौशिक)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद  
जिला भिण्ड (म0प्र0)